




राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद

द्वितीय मंजिल, ब्लॉक पांच, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर.



फोन : 0141-2719073

Email : rajssarte@gmail.com

फैक्स : 0141-5107388

क्रमांक : राप्राशिप/जय/आर.टी.ई./2016-17/ 11140

दिनांक : 28/12/17

विडियो कान्फ्रेसिंग नोटिस

विषय :- दिनांक 02.01.2018 को प्रातः 10:30 से आयोजित विडियो कान्फ्रेसिंग के संबंध में।


राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा दिनांक 02.01.2018 को प्रातः 10:30 से 12.30 तक प्रत्येक जिले के एनआईसी के विडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष के माध्यम से वी.सी. आयोजित की जावेगी जिसमें निम्नांकित अधिकारियों का भाग लेना अपेक्षित है:-

क्र.सं.	कार्यालय	भाग लेने वाले अधिकारी	वी.सी. कक्ष
1	निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर	1. निदेशक 2. अतिरिक्त निदेशक 3. नियंत्रक वित्त 4. उपनिदेशक, आरटीई 5. सहायक निदेशक, पीएसपी 6. PEEO's MPR, विद्यालय अवलोकन एवं Oosc की मॉनिटरिंग से सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी	निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर स्थित, वी.सी. कक्ष
2	निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर	1. निदेशक 2. अतिरिक्त निदेशक 3. नियंत्रक वित्त 4. सहायक निदेशक, आरटीई 5. सहायक निदेशक, पीएसपी 6. PEEO's MPR, विद्यालय अवलोकन एवं Oosc की मॉनिटरिंग से सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी	
3	राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर	1. आयुक्त 2. अतिरिक्त आयुक्त 3. नियंत्रक, वित्त 4. उपायुक्त, आरटीई एवं गुणवत्ता 5. उपायुक्त, वैकल्पिक शिक्षा 6. राज्य समन्वयक, पीएसपी-सीसी 7. उपनिदेशक, गुणवत्ता 8. उपनिदेशक, वैकल्पिक शिक्षा 9. सहायक निदेशक, आरटीई	एनआईसी, वी.सी. कक्ष, ब्लॉक-6, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4	शासन सचिवालय, जयपुर	1. वरिष्ठ उप शासन सचिव, शिक्षा ग्रुप-5, विभाग 2. वरिष्ठ लेखाधिकारी, शिक्षा ग्रुप-5, विभाग	
5	एनआईसी, जयपुर	1. श्री विनोद जैन, तकनीकी निदेशक 2. श्री अनिमेश पंत, वैज्ञानिक	
6	जिला स्तरीय कार्यालय (समस्त जिले)	1. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. 2. जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि.(प्रथम/द्वितीय) 3. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि./मा.शि.(प्रथम व द्वितीय) कार्यालय के एपीसी आरटीई/आरटीई प्रभारी अधिकारी। 4. एडीपीसी, एसएसए 5. डीपीसी, एसएसए कार्यालय के PEEO's MPR एवं Oosc से सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी	जिला कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी, वी.सी. कक्ष
7	ब्लॉक स्तरीय कार्यालय	1. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी। 2. बीईईओ कार्यालय के आरटीई प्रभारी अधिकारी।	

www.rajteachers.com


विडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एजेण्डा :-

1. आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत गैर-सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017-18 में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं के फीस के पुनर्भरण एवं गत सत्रों के बकाया पुनर्भरण के सम्बन्ध में।
2. आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन्स एवं मैन स्ट्रीमिंग की ऑनलाइन प्रविष्टि की समीक्षा।
3. पीईईओ मासिक प्रगति रिपोर्ट (MPR) एवं विद्यालय अवलोकन की ऑनलाइन प्रविष्टि की समीक्षा।
4. अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।


(मममा यादव) 8.12.17
उपायुक्त, आरटीई

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप., जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को देकर निवेदन है कि आपके कार्यालय के सम्बन्धित अधिकारियों को वी.सी. में भाग लेने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।
4. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को देकर निवेदन है कि आपके कार्यालय के सम्बन्धित अधिकारियों को वी.सी. में भाग लेने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।
5. निजी सहायक, अति. आयुक्त, राप्राशिप., जयपुर।
6. निजी सहायक, नियंत्रक वित्त, राप्राशिप, जयपुर।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, शिक्षा गुप-5, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. श्री विनोद जैन, तकनीकी निदेशक एवं प्राइवेट स्कूल पोर्टल प्रभारी, एनआईसी, जयपुर।
9. उपायुक्त, आरटीई एवं गुणवत्ता, राप्राशिप, जयपुर।
10. उपायुक्त, वैकल्पिक शिक्षा, राप्राशिप, जयपुर।
11. राज्य समन्वयक, पीएसपी-सीसी, शिक्षा संकुल, जयपुर।
12. उपनिदेशक, गुणवत्ता शिक्षा, राप्राशिप, जयपुर।
13. उपनिदेशक, वैकल्पिक शिक्षा, राप्राशिप, जयपुर।
14. प्रभारी अधिकारी, एनआईसी वी.सी. स्टूडियो, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर को देकर निवेदन है कि उक्त दिनांक एवं समय के लिए वी.सी. की बुकिंग करवाये जाने का श्रम करें।
15. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय), जिला..... को देकर लेख है कि आपके अधीन समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों एवं आरटीई प्रभारी अधिकारियों तथा एपीसी, गुणवत्ता को वी.सी. में भाग लेने हेतु अपने स्तर से सूचित करें।
16. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,.....।
17. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला.....।
18. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, जिला.....।
19. प्रभारी अधिकारी पूल को देकर लेख है कि उक्त वी.सी. में 20 व्यक्तियों के जलपान की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
20. रक्षित पत्रावली।


उपायुक्त, आरटीई